राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11(2)ग्रावि / नरेगा / पेनल्टी / 2010 / पार्ट–I   जयपुर, दिनांकः– 29 JUL 2011

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ 3(1)डीओपी / ए–III / 2004 दिनांक 08.02.2010 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–15 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबन्ध में लघु शास्तियां (तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक) (संचयी प्रभाव के बिना) अधिरोपित करने के लिए, जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। कई जिला कलेक्टरों द्वारा इस अधिसूचना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दण्डित किया है।

कई जिलों से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत जारी दण्डादेश के विरूद्ध अपील किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यह अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–15 के अन्तर्गत जारी की गई है। इन नियमों के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नियम–23 में किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि :– अधीनस्थ सेवा, लिपिक वर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी का कोई सदस्य, उस पर नियम–14 में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरूद्ध नीचे यथा दर्शित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(1) अधीनस्थ सेवा–प्रशासनिक विभाग में सरकार को।
(2) लिपिक वर्गीय सेवा–प्रशासनिक विभाग में सरकार को।
(3) चतुर्थ श्रेणी सेवा–विभागाध्यक्ष को।

(2) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरूद्ध नियम–14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह ऐसे आदेश के विरूद्ध सरकार को अपील कर सकेगा।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2010 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील उपरोक्तानुसार प्राधिकारी के समक्ष की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम सेवक एवं पंचायती राज विभाग के अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत पारित दण्डादेश की अपील शासन सचिव, पंचायती राज विभाग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(सी.एस. राजन)
अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपंरावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
8. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस